न्यायालय सिविल जज जू0डि0, खलीलाबाद स्थान– बस्ती
मूलवाद सं0 671/1988
केदारनाथ बनाम गोमती आदि

30.10.2017

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर उभय पक्ष मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थना पत्र 86ग2 पर सुना–

प्रार्थनापत्र 86ग2 वादी द्वारा इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि मुकदमे में सामान्य कमिश्नर की रिपोर्ट 16ग व नक्शा 17ग दाखिल हुआ है, जो अनिस्तारित है। इसके बावजूद अदालत अमीन को आदेशिका पैमाने पर आधारित मानचित्र बनवाये जाने का आदेश हुआ है। अदालत अमीन ने आदेशिका बिना पैमाइश किए वापस कर दिया है। मुकदमा एकपक्षीय सुनवाई में अग्रसारित हो गया और मानचित्र बनवाये जाने की कार्यवाही से विषयान्तर हो गया। अब प्रतिवादी उपस्थित होकर विवादस्थल की वस्तुस्थिति से विवाद कर रहे हैं। मुकदमे में विवाद स्थल की अद्यतन स्थिति का उपलब्ध रहना आवश्यक है, जिससे मुकदमे में प्रभावकारी डिक्री पारित की जा सके। चूंकि विवादित स्थल अब जनपद सन्तकबीरनगर की सीमाक्षेत्र के अन्तर्गत है। ऐसी दशा में पूर्व पारित आदेश के अनुक्रम में किसी सर्वे कमिश्नर को नियुक्त करके विवाद स्थल की वर्तमान यथास्थिति के बाबत सर्वे रिपोर्ट जरिए वकील कश्मिनर बनवाया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है।

प्रतिवादी द्वारा आपत्ति कागज सं0 87ग2 दाखिल करते हुए कथन किया गया है कि प्रस्तुत प्रार्थनापत्र साक्ष्य की कार्यवाही को लंबित करने तथा मुकदमे को लिंगर करने के उद्देश्य से दिया गया है। मौके की अद्यतन स्थिति के बारे में अदालत अमीन की रिपोर्ट आवश्यक है तथा सामान्य कमिश्नर की रिपोर्ट आ चुकी है। सर्वे कमिश्नर की कोई आवश्यकता नहीं है। अतः प्रार्थनापत्र निरस्त होने योग्य है।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित हुआ कि वादी द्वारा प्रस्तुत वाद प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा एवं आज्ञापक व्यादेश के अनुतोष हेतु संस्थित किया गया है। प्रस्तुत वाद में विवादित भूमि की लोकेशन का विवाद है। न्यायालय की राय में वादग्रस्त भूमि की वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु मौके का मानचित्र जरिए एडवोकेट कमिश्नर बनवाया जाना न्यायसंगत होगा। अतः प्रार्थनापत्र 86ग2 न्यायहित में स्वीकार किए जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थनापत्र 86ग2 स्वीकार किया जाता है। वादी को निर्देशित किया जाता है कि माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा विहित सूची में अग्रिम पंक्ति के अधिवक्ता आयुक्त द्वारा सर्वे कार्यवाही कराए जाने के बाबत आवश्यक पैरवी अन्दर दस दिन करे। तत्पश्चात अधिवक्ता आयुक्त को निर्देशित किया जाता है कि उभय पक्षों को सूचना देकर विवादित स्थल की विषयवस्तु के बाबत सर्वे कार्यवाही संपन्न कर अपनी रिपोर्ट नियत तिथि तक न्यायालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करे। पत्रावली वास्ते कमिश्नर रिपोर्ट दिनांक 20.11.2017 को पेश हो।

सिविल जज जू0डि0,
खलीलाबाद स्थान–बस्ती